ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

सामाजिक न्याय की अवधारणा में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का योगदान

Dr. Bhimrao Ambedkar's Contribution to The Concept of Social Justice

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

हरि चरण अहिरवार
राजनीति विभाग,
सहायक प्राध्यापक,
शा0 कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, सीधी,
मध्य प्रदेश, भारत

राजेश कुमार साहू
राजनीति विभाग,
सहायक प्राध्यापक,
शा0 कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, सीधी,
मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

सामाजिक न्याय किसी भी समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है, इसके बिना समाज का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है और धीरे–धीरे वह समाज विलुप्त भी हो सकता है। वस्तुतः सामाजिक न्याय की स्थापना किसी भी समाज का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात् जब संविधान को लागू किया गया तो उसमें इस लक्ष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रस्तावना से लेकर अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना को बल मिले। इसके बावजूद इसे भारतीय समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि संवैधानिक प्रावधानों के उपरांत आज भी भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, दलित उत्पीड़न, भेदभाव व छुआछूत सर्वत्र व्याप्त है।

सामाजिक न्याय से अर्थ है, कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना उसके धर्म व जाति ध्यान में रखे, जीवन की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं को जैसे–भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का समुचित अवसर प्रदान हो, मानव का मानव द्वारा शोषण न किया जावे और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। तथा राजनीतिक शक्ति में सभी की समान भागीदारी हो।

Social justice is the most important value of any society, without it the existence of the society may be in crisis and gradually that society can also become extinct. In fact, the establishment of social justice should be the first goal of any society. In India too, when the Constitution was implemented after independence, this goal was given a very important place in it. Many provisions were made from the preamble to the establishment of social justice. Despite this, it will be called a misfortune of Indian society that even after constitutional provisions, social justice, Dalit oppression, discrimination and untouchability are prevalent in Indian society even today.

Social justice means that every person living in the society, irrespective of their religion and caste, needs to fulfill the basic essential needs of life, such as food, clothes and houses, every person has a proper opportunity for social and economic development. Granted, humans should not be exploited by humans and there should be decentralization of economic power. And everyone should have equal participation in political power.

मुख्य शब्द : सामाजिक न्याय, असमानता, भेदभाव एवं अस्पृश्यता।
Social Justice, Inequality, Discrimination And Untouchability.

प्रस्तावना

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्यता एक मानवीय समस्या है। बाबा साहब डॉ0 अम्बेकडर के अनुसारः– ''हिन्दुओं में अस्पृष्यता की व्यवस्था विचित्र तथा संसार के पीठ पर अन्य किसी भी भाग की मानवता से अपरिचित है।'' डॉ0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के बारे में गहन अध्ययन के संबंध में उन्होने समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार प्रस्तुत किए।

अब्राहम लिंकन की तरह ही डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी भी जन–साधारण के वर्ग से निकले और जीवन भर जन–साधारण के व्यक्ति ही बने रहे। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में जातिग्रस्त, क्रूर, अन्यायी और

अमानवीय समाज के हाथों गरीबी और सामाजिक प्रताड़ना का सहन किया था, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा वह उनके दुख–दर्द को कहीं अधिक अच्छी तरह समझते थे। बुद्धि और तर्क पर भरोसा करने के साथ–साथ वह अतिशय भावुक भी थे। अनादि काल से समाज में सम्मानजनक स्थान पाने से वंचित अपने लोगों के कष्ट देखते ही उनकी आँखों में आँसू भर जाते थे।

जीवन भर रूढ़ियों का विरोध करने वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। आठ करोड से भी अधिक दलित, उनके जीवन काल में और आज भी उन्हे अवतार मानते आ रहे है, जबकि उनके परिनिर्वाण प्राप्त हुए पैंतालीस वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं। वास्तव में समस्त भारतीय समुदाय दलितों के कल्याण के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास उनकी गणना मानवता के महान उद्धारकों में करेगा।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी चाहे दादर, मुम्बई के अपने निजी आवास राजगृह मे रहे, चाहे नई दिल्ली की 22, पृथ्वीराज रोड पर वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के श्रम–सदस्य की हैसियत से, या स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में अपने सरकारी आवास 1, हार्डिंग एवेन्यू में, और या फिर अपने अंतिम दिनों में 26, अलीपुर रोड़ पर उनका घर कभी भी सूना या एकाकी नही रहा हर जगह उनका घर राजनीतिज्ञों, प्रशंसकों, हितैषियों, गरीबों, पीडितों और दलितों के लिए एक तीर्थ–स्थल बना रहा। हालांकि कभी–कभी व्यस्त और अकेले काम करने वाले होने के कारण वह जनता को समय नहीं दे पाते थे, फिर भी उनके अन्तर्मन में गरीबों, दीन–हीनों और जरूरतमंदो के लिए अपार दया और करूणा थी। वह शेर और मेमने का अद्‌भुत मिश्रण थे। उनका हृदय एक बच्चे के समान था, जो एक सागर की तरह विशाल था।

डॉ0 अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में रहते हुए अपने जीवन भर न केवल दलितों–शोषितों को उठाने और उन्हे मानव का गरिमापूर्ण दर्जा दिलाने का भरसक प्रयास किया, बल्कि हिन्दुओं को सुधारने और हिन्दू महिलाओं का स्तर उठाने के लिए भी संघर्ष किया। वह कहते थे कि केवल दलित वर्ग को उठाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हिन्दुओं को भी समझाना और सुधारना होगा। दलित महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने पर उनका विशेष ध्यान था और उन्होंने समाज में उनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भरसक प्रयास किए। इसमें उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। समाज के सबसे निचले तबके से संबंध होने के बावजूद उनमें संस्कारों की कभी कमी नहीं रही। वे सभी मनुष्यों को बराबर समझते थे।

शोध–पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र ''सामाजिक न्याय की अवधारणा में डॉ0 भीमराव अंबेडकर का योगदान'' के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना ।
2. नागरिकों के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का निषेध ।
3. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना ।
4. समाज में किसी भी रूप में हो रहे शोषण को रोकना।
5. समाज के सुविधाविहीन वर्ग का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना ।
6. समाज में गरीबी रेखा के नीचे के सुविधावंचित वर्ग विशेष रुप से निर्धनों के बच्चों, महिलाओं और आशक्त व्यक्तियों की सहायता करना

सामाजिक न्याय की अवधारणा

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, बुद्धिजीवी, मानवतावादी, दलितों के मसीहा तथा सामाजिक न्याय के संघर्षशील योद्धा थे। वह भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में भी जाने जाते है। उन्होने हिन्दुओ में अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को संगठित करके उन्हे सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं अस्पृश्य जाति में जन्म लेकर उन्होने निरंतर संघर्ष तथा आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा ग्रहण की। जातिवाद तथा छुआ–छूत के कारण बाल्यकाल से ही उन्हे अपमान तथा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव बाद में उनके विचारों पर पड़ना स्वाभाविक था। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उच्च–शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होने समानता के व्यवहार का अनुभव किया, जो भारत में उनके लिए वर्जित था। अब्राहम लिंकन तथा वाशिंगटन के विचारों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह कबीर की भक्ति, फूले के समाज सुधार तथा बाबू महाराज के ब्राह्मणवाद के विरूद्ध संघर्ष से भी प्रभावित थे। अम्बेडकर विचारधारा पर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व के पाश्चात्य विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान वह रंगभेद की नीति का विरोध करने वाले चौदहवें संशोधन से अत्याधिक प्रभावित हुए थे। इससे उन्हें भारत में दलितों का उद्धार करते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उनका मन था कि दलितों को स्वतंत्र जीवनयापन हेतु सक्षम बनाने में मनु द्वारा निर्मित नियम नहीं, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा के उपाय ही सहायक होंगे।

आधुनिक भारत के रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक, समता, न्याय के पुजारी, दलितों के उद्धारक और चिंतक थे, जिन्होंने उपेक्षित पदक्रांत, दलित समाज को एक नई दिशा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मबल दिया। देश में समाज सुधारक मनीषियों की कमी नहीं रही, दलितोद्धार से संबंधित उपदेश व विचार तो बहुत से चिंतको ने दिया परन्तु उनको सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता व न्याय कोई नही दिला पाया और दलितों की आड़ में अनेकानेक व्यक्तियों और समूहों ने राजनैतिक आकाँक्षा की पूर्ति की परन्तु डॉ. अम्बेडकर खुद प्रताड़ित रह कर विषमताओं और भेदभावों, तथा अत्याचारों को सहकर उसके समाप्ति के लिए संघर्ष किया उनका एक मात्र लक्ष्य दलित उद्धार और समाज कल्याण था।

डॉ भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि राष्ट्रीयता की भावना, एकता, अधिकार और कर्तव्यों में समन्वय व संतुलन किसी भी देश की मौलिक ताकत होती है। एकता समानता से बनती है और समानता निष्पक्ष न्याय से ही पनप सकती है। इस तरह की भावना व्यक्ति में तभी आ सकती है, जब इसे समान सुविधाएँ, समान अधिकार, समान स्वतंत्रता और समान न्याय मिले। समानता पर आधारित समाज के गरीबों, उपेक्षित शोषित के लिए समाजिक, आर्थिक न्याय को न केवल सुनिश्चित करना होगा बल्कि यह भी देखना होगा कि उनका उत्थान तथा विकास भी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें ठोस व्यवहारिक नीतियाँ बनानी और क्रियान्वित करनी होंगी। वंचित वर्ग को दया की नहीं सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट संकेत दिया था कि ''26 जनवरी 1950 को हम एक विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में समानता और सामाजिक, आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी, इस विरोधाभास को जितनी जल्दी हो सके तो नष्ट नहीं किया गया तो असमानता की ऑच जिन्हे लगी है वे संविधान परिषद् द्वारा इतने परिश्रम से तैयार की गई राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला को ध्वस्त किए बिना नहीं रहेंगे।''

यह सही है कि हमारे संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाने और उससे जीवन का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रस्थापित करने के बाद भी उसका परिणाम नजर नहीं आ रहा है। व्यवहार में आज भी कानून का उपनिवेशवाद स्वरूप कायम है, और प्रभावशाली है। हम सब देख रहे हैं कि आदिवासी अपने ही घर पर आज पराए बनते जा रहे हैं, जंगल उनका नहीं वे जंगल के नही। वनों की संपदा उन्हीं की थी वे रक्षक थे वन उनका जीवन था, उनका अस्तित्व था, लेकिन आज वनों पर सरकार का अधिकार है, वन सम्पदा सरकार की है लेकिन सरकारें यह भूल गई हैं कि आदिवासी भी सरकार के ही हैं। आदिवासियों के जीवन का अधिकार भी सरकार ही प्रदत्त करेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे संविधान में राज्य को सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी दी गयी है। सामाजिक न्याय देना या दिलाना राज्य का दायित्व है तो यह सब हो रहा है।

विकास के कम में दलितों के जीवन के अधिकार पर किस प्रकार का कुठाराघात हुआ है इसका स्पष्ट उदाहरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। सामाजिक न्याय व कानून की क्या यह धारणा थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घबराए, गरीब अमीर से डरे, खेतिहर मजदूर भूमिधारी से डरे, बंधक मजदूर अपने मालिक से त्रस्त हों। उपेक्षित व दलित व्यक्ति कानून नहीं जानता है और कानून की अज्ञानता का लाभ गरीब को नही मिलता है।

कानून वास्तविकता पर कम सबूतों और गवाहों पर अधिक निर्भर रहता है। गरीब के पास सबूत कहाँ, झूठे गवाह कहाँ क्या गरीब सबूतों को खत्म कर सकता है, क्या गवाहों को खरीद सकता है। क्या गरीब अपराधी तत्वों को पालने की हिम्मत रख सकता है। कहने को तो कानून अंधा है, लेकिन अमीरों के प्रति हमेशा ही उसकी आँखें खुली रहती हैं। क्या ऐसे कानून की निष्पक्षता और समता के सिद्धांत पर शंका नहीं होनी चाहिए। यह कानूनी व्यवस्था दिखने में चाहे कैसी भी हो लेकिन आज के शासक को अमीरों व उच्च वर्ग को अच्छी लगती है यह व्यवस्था उनके अनुकूल है। विकास की दौड़ में कानून व्यवस्था की, हर अनमोल बातों की अनदेखी हो रही है और भाग्य की विडम्बना यह है कि इसी कानून व्यवस्था को प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक भी मान लिया गया है ऐसे में सामाजिक न्याय की परिकल्पना मात्र दिखावा है।

निष्कर्ष

डॉ0 अम्बेडकर को हम सामाजिक न्याय का मसीहा कह सकते हैं वे उस मूक दलित, शोषित वर्ग की आवाज बने जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था डॉ अम्बेडकर उस वर्ग के लिए एक ज्योति पुंज साबित हुए जिसकी रोशनी में वह वर्ग विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। डॉ अम्बेडकर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे मगर वे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के पूर्व समाजिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि देश की सत्ता एक अधिनायक एवं शोषक वर्ग से हस्तान्तरित होकर दूसरे उच्च जातियों को हस्तान्तरित हो जाए। डॉ0 अम्बेडकर स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को सबसे प्रमुख सामाजिक मूल्य मानते थे। उनका मानना था कि इन मूल्यों की प्राप्ति एक स्वस्थ लोकतंत्र में ही हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अम्बेडकर, डॉ0 बी. आर., 2008, अम्बेडकर और साम्यवाद, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
2. *आगलावे, डॉ0 प्रदीप, 2005, महान समाजशास्त्री बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
3. *ऐलोइशस, ज्ञान, 2013, डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि में राष्ट्र और राष्ट्रवाद, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
4. *अम्बेडकर, डॉ0 बी.आर., 2003, जातिभेद का बीजनाश, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
5. *अम्बेडकर, डॉ0 भीमराव, 2002, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
6. *अम्बेडकर, डॉ0 बी.आर., 2008, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
7. *अम्बेडकर, डॉ0 बी.आर. 2006, राज्य और अल्पसंख्य, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली।*
8. *अवस्थी एवं अवस्थी, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर।*
9. *शर्मा बी एवं शर्मा, रामकृष्ण दत्त, भारतीय राजनीतिक विचार, रावत पब्लिकेशन जयपुर।*